रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934
No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2012

फा. सं. पीएस/सेक्रेट्री/एम(सी)/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. विनियम 5 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों का निर्धारण) विनियम, 2008 के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) में द्वितीय उपबंध के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाए, नामत: :—

"बशर्ते कि प्रारम्भिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ प्रावधिक कम्पनी से प्रासंगिक टैरिफ आंकड़ों की प्राप्ति के छ: माह के भीतर बोर्ड द्वारा अस्थायी तौर पर नियत किया जाएगा तदउपरांत कम्पनी द्वारा इस प्रकार प्रारम्भिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शुल्क के बीच के अस्थायी तौर पर प्रभारित नियत अंतर को उपभोक्ताओं के साथ पूर्व प्रभावी रूप से समायोजन करेगा ।"

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/12]

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 20-11-2008 के तहत अधिसूचित हुए थे तदनन्तर सा.का.नि. 986(अ), दिनांक 20-12-2010 तथा फा. सं. पी एन जी आर बी/एम (सी)/11/फाइनल टैरिफ फिलिंग दिनांक 30-5-2012 के तहत संशोधित किया गया ।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2012

F. No. PS/Secy./M(C)/2012.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 5.

In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, for the second proviso, in sub-regulation (2) of regulation 5, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that the initial unit natural gas pipeline tariff shall be provisionally fixed by the Board within six months of receipt of the relevant tariff data from the entity after which the entity shall carry out adjustments with a retrospective effect with the customers for the difference between the initial unit natural gas pipeline tariff that the entity had so charged and that provisionally fixed."

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./188/12]

Foot Note :—Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 807(E), dated 20-11-2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20-12-2010 and F. No. PNGRB/M (C)/11/Final Tariff Filing dated 30-5-2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.